# अंग प्रत्यारोपण में सुधार

## प्रिलिम्स के लिये:

मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 , राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशानिर्देश, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO)

## मेन्स के लिये:

अंग दान और प्रत्यारोपण - संबंधित नैतिक चिंताएँ, अंग प्रत्यारोपण में उभरते मुद्दे।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में, **दिल्ली** उच्च न्यायालय ने **जीवित दाताओं से जुड़े अंग प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिये 6 से 8 सप्ताह की समय सीमा का प्रस्ताव** दिया है।

- उच्च न्यायालय ने सरकार को मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम {The Transplantation of Human Organs and Tissues (THOT ) Act },1994 और मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नियम (THOT नियम), 2014 के अनुसार अंग दान आवेदनों के सभी चरणों के लिये विशिष्ट समय-सीमा स्थापित करने का निर्देश दिया।

## मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम,1994 क्या है?

- **परिचय:**
  - यह कानून भारत में मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण को नियंत्रित करता है, **जिसमें मृत्यु के बाद अंगों का दान भी शामिल** है।
  - यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अस्पतालों को नियंत्रित करने वाले नियम बनाता है तथा उल्लंघन के लिये दंड निर्धारित करता है।
- **अंग दाता और प्राप्तकर्त्ता:**
  - प्रत्यारोपण **या तो मृत व्यक्तियों के अंगों से हो सकता है जो उनके रिश्तेदारों द्वारा दान किया गया हो या किसी जीवित व्यक्ति से हो सकता है** जो प्राप्तकर्त्ता को पता हो।
  - अधिकतर मामलों में, अधिनियम माता-पिता, भाई-बहन, बच्चों, पति-पत्नी, दादा-दादी और पोते-पोतियों जैसे **करीबी रिश्तेदारों से जीवनयापन के लिये दान की अनुमति देता** है।
- **दूर के रिश्तेदारों और विदेशियों से दान:**
  - **दूर के रिश्तेदारों, ससुराल वालों** या लंबे समय के दोस्तों से परोपकारी दान को **अतिरिक्त जाँच** के बाद अनुमति दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई वित्तीय विनिमय न हो।
  - **भारतीयों या विदेशियों से जुड़े** करीबी रिश्तेदारों से जीवित दान के साथ उनकी पहचान स्थापित करने वाले दस्तावेज़, परिवार और दाता-प्राप्तकर्त्ता संबंध साबित करने फोटोग्राफिक साक्ष्य को शामिल होने चाहिये।
    - **दानकर्त्ताओं और प्राप्तकर्त्ताओं का भी साक्षात्कार लिया जाता है।**
- **असंबद्ध व्यक्तियों से दान:**
  - असंबद्ध व्यक्तियों से दान के लिये प्राप्तकर्त्ता के साथ उनके दीर्घकालिक संबंध या मित्रता को साबित करने के लिये **दस्तावेज़ों और फोटोग्राफिक साक्ष्य की आवश्यकता** होती है।
  - अवैध लेन-देन को रोकने के लिये **एक बाहरी समिति द्वारा इनकी जाँच** की जाती है।
- **जुर्माना एवं दण्ड:**
  - अंगों के लिये भुगतान की पेशकश करना या भुगतान के लिये उनकी आपूर्ति करना, ऐसी व्यवस्था शुरू करना, बातचीत करना या विज्ञापन करना, अंगों की आपूर्ति के लिये व्यक्तियों की तलाश करना और झूठे दस्तावेज़ तैयार करने में सहयोग करने पर **10 साल तक की जेल तथा 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना** हो सकता है।
- **NOTTO का गठन:**
  - **राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (National Organ and Tissue Transplant Organization-**

**NOTTO)** स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य तथा परिवार मंत्रालय के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है।

- इसे **मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011** के अनुसार अनिवार्य किया गया है।
- NOTTO का राष्ट्रीय नेटवर्क प्रभाग देश में अंगों और ऊतकों की खरीद तथा वितरण एवं**अंगों व ऊतकों के दान और प्रत्यारोपण की रजिस्ट्री के लिये समन्वय तथा नेटवर्किंग** की अखिल भारतीय गतिविधियों के लिये शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

## THOT नियम, 2014 क्या हैं?

- **प्राधिकरण समिति:**
  - वर्ष 2014 के नियमों का नियम 7 **प्राधिकरण समिति के गठन** और उसके द्वारा की जाने वाली जाँच तथा मूल्यांकन की प्रकृति का प्रावधान करता है।
  - नियम 7(3) में कहा गया है कि **समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ऐसे मामलों में कोई वाणिज्यिक लेन-देन शामिल नहीं** है जहाँ दाता और प्राप्तकर्त्ता करीबी संबंधी नहीं हैं।
    - नियम 7(5) कहता है कि यदि प्राप्तकर्त्ता गंभीर स्थिति में है और एक सप्ताह के भीतर प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, तो शीघ्र मूल्यांकन के लिये अस्पताल से संपर्क किया जा सकता है।
- **जीवित दाता प्रत्यारोपण:**
  - जीवित दाता प्रत्यारोपण के लिये नियम 10 आवेदन प्रक्रिया का वर्णन करता है, जिसके लिये दाता और प्राप्तकर्त्ता द्वारा संयुक्त आवेदन की आवश्यकता होती है।
  - **नियम 21 के अनुसार समिति को आवेदकों का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार** करना होगा और दान देने के लिये उनकी पात्रता निर्धारित करनी होगी।

## प्राधिकरण समिति क्या है?

- **परिचय:**
  - प्राधिकरण समिति **अंग प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं की देखरेख और अनुमोदन करती है** जिसमें दाताओं तथा प्राप्तकर्त्ताओं को शामिल किया जाता है जो करीबी संबंधी नहीं हैं।
  - यह अनुमोदन महत्त्वपूर्ण है, **खासकर उन मामलों में जहाँ स्नेह, लगाव या अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण अंगों का दान किया जाता है,** ताकि नैतिक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और अवैध प्रथाओं को रोका जा सके।
- **संघटन:**
  - अधिनियम, 1994 की **धारा 9(4)** कहती है, "प्राधिकरण समिति की संरचना ऐसी होगी जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती है"।
  - **राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश** "एक या अधिक प्राधिकरण समिति का गठन करेंगे जिसमें ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार तथा केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा नामित किया जा सकता है।"
- **शक्तियाँ:**
  - धारा 9(5) के तहत, **समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्यारोपण अनुमोदन के लिये** आवेदनों की समीक्षा करते समय गहन जाँच करेगी।
  - जाँच का एक महत्त्वपूर्ण पहलू **दाता और प्राप्तकर्त्ता की प्रामाणिकता को सत्यापित करना** है तथा यह सुनिश्चित करना है कि दान व्यावसायिक उद्देश्यों से प्रेरित नहीं है।
- **संसद की भूमिका:**
  - अधिनियम की धारा 24 केंद्र को अधिनियम के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिये **संसदीय अनुमोदन के अधीन** नियम बनाने की अनुमति देती है।
    - ये वे **तरीके तथा शर्तों** से संबंधित हो सकते हैं **जिसके तहत कोई दाता** मृत्यु पूर्व अपने **अंगों को प्रतिरोपित करने की अनुमति दे सकता है।**
    - इसके अतिरिक्त इसमें **मस्तिष्क को मृत घोषित करने की पुष्टि** कैसे की जानी चाहिये अथवा दाता के शरीर से निकाले गए अंगों को संरक्षित करने के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहिये इत्यादि जैसे विषय शामिल हो सकते हैं।

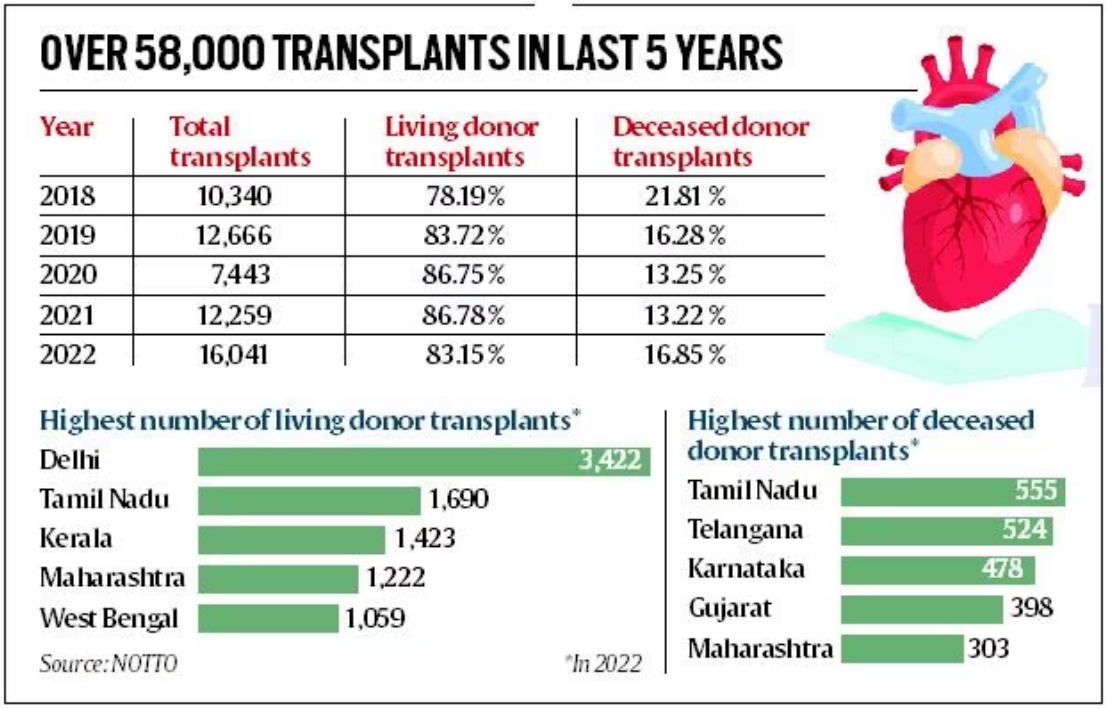


//

## उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय लिया?

- **प्राधिकरण समितियों का गठन:**
  - उक्त अधिनियम राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों को नामांकित सदस्यों से युक्त एक अथवा अधिक प्राधिकरण समितियाँ गठित करने का आदेश देता है।
  - उच्च न्यायालय ने अंग प्रतिरोपण प्रोटोकॉल की अखंडता तथा प्रभावशीलता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
- **जीवित दाता प्रतिरोपण आवेदन हेतु समय-सीमा:**
  - उच्च न्यायालय के अनुसार जीवित दाता प्रतिरोपण आवेदनों को संसाधित करने की समय-सीमा **आवेदन की तिथि से 10 दिनों से अधिक नहीं** होनी चाहिये।
  - **अधिकतम 14 दिनों के भीतर न्यायालय द्वारा** ग्राही/प्राप्तकर्त्ता तथा दाता की अधिवास स्थिति से संबंधित दस्तावेज़ों के **सत्यापन का आदेश** दिया जाता है।
  - आवश्यक दस्तावेज़ पूरा करने के लिये दाता अथवा ग्राही को दिये गए किसी भी अवसर को नियमों के तहत **निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचित किया जाना चाहिये।**
- **निर्धारित साक्षात्कार तथा पारिवारिक बैठकें:**
  - **आवेदन प्राप्त होने के चार से छह सप्ताह के बाद** साक्षात्कार दो सप्ताह के भीतर निर्धारित किया जाना चाहिये।
  - साक्षात्कार तथा पारिवारिक बैठक का आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा और साथ ही इस समय-सीमा के भीतर लिये गए निर्णय से अवगत कराना चाहिये।
    - न्यायालय इस बात पर ज़ोर देती है कि पूरी प्रक्रिया की अवधि, **आवेदन करने से लेकर निर्णय तक, आदर्श रूप से छह से आठ सप्ताह से अधिक नहीं होनी चाहिये।**
- **सरकार को अनुशंसाएँ:**
  - उच्च न्यायालय ने **प्रासंगिक हितधारकों से परामर्श** करने के बाद अंगदान आवेदनों पर विचार करने के सभी चरणों के लिये समय-सीमा निर्धारित करने को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को निर्णय प्रस्तुत करने को कहा है।

## विविध दृष्टिकोण

भारत में अंग प्रत्यारोपण से संबंधित कानून

# भारत में मसूर उत्पादन

## प्रलिम्सि के लयि:

दलहन के बारे में, मसूर उत्पादक क्षेत्र, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (NAFED), लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)-दालें, अनुसंधान और विविधिता विकास में ICAR की भूमिका, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना।

## मेन्स के लयि:

भारत में दलहन उत्पादन की स्थिति, भारत में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा की गई पहल

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

## चर्चा में क्यों?

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, अधिक क्षेत्रफल के कारण भारत वर्ष 2023-24 फसल वर्ष के दौरान मसूर (Lentil) का विश्व का **सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिये तैयार** है।

- अधिक क्षेत्रफल के कारण वर्ष 2023-24 रबी सीज़न में देश का **मसूर उत्पादन 1.6 मिलियन टन** के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुँचने का अनुमान है।
- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, फसल वर्ष 2022-23 में देश का मसूर उत्पादन 1.56 मिलियन टन रहा।

## दलहन क्या हैं?

- **परिचय:**
  - मसूर 'फली (**Legume**) परिवार' का एक झाड़ीदार वार्षिक शाकाहारी पौधा है।
  - ये खाने योग्य फलियाँ हैं, जो अपने लेंस के आकार के, चपटे टुकड़ों वाले बीजों के लिये जानी जाती हैं।
  - मसूर के पौधे आम तौर पर छोटे होते हैं और **उनमें स्व-परागण वाले फूल लगते** हैं।
  - मसूर की दाल ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, फास्फोरस, लौह, जस्ता, कैरोटीन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के उत्कृष्ट स्रोत हैं।
- **जलवायु संबंधी स्थिति:**
  - मसूर मुख्यतः वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाई जाती है।
  - इसकी वानस्पतिक वृद्धि के समय **ठंडे तापमान और परिपक्वता के समय गर्म तापमान** की आवश्यकता होती है।
  - मसूर की खेती **रबी मौसम** में की जाती है।
- **मृदा प्रकार:**
  - मसूर की दलहन का उत्पादन विभिन्न प्रकार की मृदा में किया जा सकता है जिसमें रेत से लेकर चिकनी दुमट इत्यादि जैसी मृदाएँ शामिल हैं किंतु इसका सबसे अच्छा उत्पादन मध्यम उर्वरता वाली गहरी बलुई दुमट मृदा में होता है।
  - 7 pH मान के आसपास की मृदा इसके लिये सबसे उपयुक्त मानी जाती है।**बाढ़ अथवा जलभराव की स्थिति मसूर की फसल को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है।**
- **मसूर उत्पादक क्षेत्र:**
  - इसकी कृषि मुख्य रूप से **उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश**, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में की जाती है।
    - उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र **मसूर का कटोरा** माना जाता है जो देश के कुल मसूर उत्पादन में लगभग 25% का योगदान देता है।
  - खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के शीर्ष मसूर उत्पादक **कनाडा, भारत,** ऑस्ट्रेलिया, तुर्की तथा रूस थे।
    - मसूर का दूसरा **सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भारत वर्तमान में भी अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आयात**, मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, सिंगापुर और तुर्की **पर निर्भर** रहता है।

## भारत में दलहन उत्पादन की स्थिति क्या है?

- भारत विश्व में दलहन का **सबसे बड़ा उत्पादक (वैश्विक उत्पादन का 25%), उपभोक्ता (विश्व खपत का 27%) तथा आयातक (14%)** है।
- खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में दलहन की हिस्सेदारी लगभग 20% है तथा देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान लगभग 7-10% है।
- **चना सबसे प्रमुख दलहन** है जिसकी कुल उत्पादन में हिस्सेदारी लगभग 40% है, इसके बाद तुअर/अरहर की हिस्सेदारी 15 से 20% तथा उड़द/ब्लैक मेटपे एवं मूंग दलहन की हिस्सेदारी लगभग 8-10% है।
- हालाँकि दलहन का उत्पादन खरीफ तथा रबी दोनों सीज़न में किया जाता है,**रबी सीज़न में उत्पादित दलहन का कुल उत्पादन में 60% से अधिक**

**का योगदान** है।
- मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक शीर्ष पाँच दलहन उत्पादक राज्य हैं।

## भारत में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा कौन-सी पहलें की गई हैं?

- **नीतिगत समर्थन:** किसानों के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करने की नीति मुख्य रूप से **राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India - NAFED)** और हाल ही में **लघु कृषि कृषक व्यापार संघ (Small Farmers Agri Consortium - SFAC)** के माध्यम से किसानों को **न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Prices - MSP)** प्रदान करके दालों की खरीद पर केंद्रित है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission -NFSM) - दलहनदालें।**
- अनुसंधान और विविधता विकास में ICAR की भूमिका
- प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना

## UPSC,सिविल सेवा परीक्षा ,विगत वर्ष प्रश्न

### ??????????:

**प्रश्न. भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)**

1. उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है।
2. कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूँग का होता है।
3. पिछले तीन दशकों में, जहाँ खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

**(a) केवल 1**
**(b) केवल 2 और 3**
**(c) केवल 2**
**(d) 1, 2 और 3**

**उत्तर: (a)**

---

### ?????:

**प्रश्न. दालों की कृषि के लाभों का उल्लेख कीजिये जिनके कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। (2017)**

---

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/15-01-2024/print